STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309

Office: High Court Premises
Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2022/

Date : 26.07.2022

प्रति,

KU. PRAMILA ADV.
S/O/D/O/W/O SHRI MANIRAM
VILLAGE RAMESHWARPUR, POST KALYANPUR,
BLOCK + DISTT SURAJPUR, DISTT SURAJPUR (C.G)

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.07.2022 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक **CG/931/2022/ADV. नामांकन दिनांक 25.07.2022** हैं।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :–

The Secretary,
Bar Council of India,
21, Rouse Avenue,
Institutional Area
New Delhi+
Telephone No.011-492250000, 32402082,
Telefax : 011-41036283
Email :- Info@ barcouncilofindia. Org
Website: www.barcouncilofindia.org

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH, BILASPUR

भवदीय

(अमित कुमार वर्मा)
सचिव
छ.ग.रा.वि. परिषद

Council of Scientific & Industrial Research
(Human Resource Development Group)

CERTIFICATE

Joint CSIR-UGC National Eligibility Test (NET)
for Junior Research Fellowship (JRF) and Eligibility for Lectureship (LS)/Assistant Professor
Dec-2022/June-2023 (merged cycle)

E-certificate No.: **22D/23J00994**

Roll No : **CG02040966**

CSIR -HRDG Ref. No : **Dec-22(II)/Jun-23(I)/EU-V**

Certified that **SANMATEE BAI** Son/Daughter of **HRIDAY KUMAR** and **SUNAFOOLO BAI** has been declared qualified for the award of Junior Research Fellowship in the subject **Chemical Sciences** (**137** Rank), under CSIR Fellowship Scheme. Further, he/she has also been declared qualified for eligibility for Lectureship (LS)/Assistant Professor in the above subject area provided he/she fulfils the eligibility criteria laid down by University Grants Commission (UGC).

The offer of Junior Research Fellowship is valid for a period of two years w.e.f. **01.01.2024** and is not extendable. It will be governed by the terms and conditions of CSIR Junior Research Fellowship scheme (terms and conditions of the scheme is available at CSIR-HRDG website www.csirhrdg.res.in) .

In order to accept the offer of Junior Research Fellowship, he/she should upload documents (joining report, undertaking, attestation proforma etc.) duly completed in all respect on the online platform for this purpose, through registered maker/checker of host Institute. Proforma for joining report, undertaking and attestation has to be downloaded from CSIR HRDG website. Please note IMPORTANT INSTRUCTIONS on overleaf.

The date of declaration of result is UGC-NET result, i.e., **29.07.2023**

Date of issues: **14.11.2023**

Under Secretary, Exam Unit
CSIR-HRDG

5A88A1FF0BFA1F30C866F1177014ED45

Scanned with OKEN Scanner

VYAPAM'S COPY

Chhattisgarh Professional Examination Board , RAIPUR

Pre B.Ed Entrance Exam 2022

ADMIT CARD

Registration No.: **BDED22103995122**

Candidate's Name **SHRUTI SINHA**

Roll No. : **11201082** Category : **GENERAL**

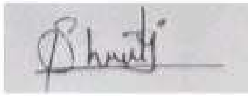

Center Code and Name :

1120, SUN RISE HR.SEC. SCHOOL,CHANDANI CHOWK, KHAIRBAR ROAD, AMBIKAPUR

Signature of Candidate	**Signature of Invigilator**	**Date**

CANDIDATE's COPY

Chhattisgarh Professional Examination Board , RAIPUR

Pre B.Ed Entrance Exam 2022

ADMIT CARD

Registration No.: **BDED22103995122**

Roll No.: **11201082**

Candidate's Name : **SHRUTI SINHA**

Relative's Name : **SHUSHIL KUMAR SINHA**

Date of Birth: **05/09/1999**

Gender: **FEMALE** Category: **GENERAL**

Class : **Others**

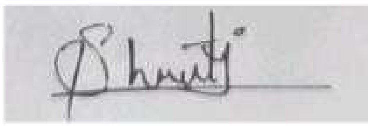

Address of Candidate :

Ward No 05, Godhanpur, Ambikapur, Surguja - 497001, CHATTISGARH

Date of Exam :
12/06/2022
Time
B.Ed 10:00 AM TO 12:15 PM

Examination Center code and Name

1120, SUN RISE HR.SEC. SCHOOL,CHANDANI CHOWK, KHAIRBAR ROAD, AMBIKAPUR

Controller

अभ्यर्थी के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य है, बिना मास्क/फेस कवर के अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

2. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वर्ष 2021-22 का विद्यालय का फोटो परिचय पत्र भी मान्य होगा।

3. परीक्षार्थी परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहें, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन मूल पहचान पत्र से किया जा सके । **सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अपने मास्क को हटाना होगा ।**

4. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल काले या नीले बाल प्वाइंट पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लावें ।

5. किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घंटी या अन्य सामग्री लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है । परीक्षा कक्ष में पर्स, पाउच, स्कार्फ एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लाना पूर्णतः वर्जित है ।

6. काउंसिलिंग के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें । व्यापम द्वारा दोबारा जारी नहीं किया जायेगा।

7. अभ्यर्थी अपने साथ हेण्ड सैनिटाइजर की छोटी पारदर्शी बोतल रख सकते हैं।

8. परीक्षा हॉल में एवं परीक्षा हॉल के बाहर अभ्यर्थियों को भारत सरकार/ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करना होगा ।

9. निर्देशों का पालन न करने पर नीक्षक अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,जिला बस्तर जगदलपुर

eMail – deo.jdp@gmail.com, Beside Hatha Ground Jagdalpur District Bastar (C.G.)

-:: आदेश ::-

क्र./2228 /स्था.03/सीधी भर्ती–2023/सहा.शिक्षक/2024, जगदलपुर, दिनांक 09/03/2024

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1–50/2022/20–चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04/05/2023 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था.02/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2023/155 नवा रायपुर, दिनांक 04/05/2023 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों हेतु छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 02/07/2023 की वरीयता के आधार पर चतुर्थ चरण अंतर्गत दस्तावेज़ों का सत्यापन हेतु गठित दल द्वारा दस्तावेज सत्यापन 07.03.2024 से 09.03.2024 तक किया गया । दस्तावेज सत्यापन में पात्र सहायक शिक्षक के पद के अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, **सातवे वेतनमान 25300–80500 के वेतनमैट्रिक्स लेवल (06)** के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में अभ्यर्थी द्वारा स्वतः ऑनलाईन काउंसलिंग में चयनित/आबंटित शाला में पदस्थ किया जाता है :–

रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4	5
11053555	KAVITA PAINKRA C/o JETHURAM	ST	House No : 89, SCHOOLPARA, KUDARIDIH, , 497111, District: Surguja Chhattisgarh, , , , , ,	GOVT. ASHRAM SHALA KARKAGUDA Lohandiguda BASTAR 22152409002

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर (छ0ग0)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :–

1) चयनित सहायक शिक्षक दिनांक 18 मार्च 2024 तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगें। निर्धारित तिथि उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2) चयनित सहायक शिक्षक संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला मेडिकल बोर्ड के फिटनेस प्रमाण–पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज़ों के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा।
3) सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
4) नवनियुक्त सहायक शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जायेगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5) यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे कि उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, यदि भविष्य में पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, जो, संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा हेतु अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो, बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
6) चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गयी जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
7) चयनित सहायक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छ0ग0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत शासित होगी।

8) उपरोक्त चयनित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह का या नोटिस अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।

9) प्रमाणित किया जाता है कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है तथा यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रतानुसार की गई है।

10) पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति का एक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।

11) संबंधित सहायक शिक्षक को 03 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा, उक्त अवधि में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस आदेश के अंतर्गत पदस्थापना संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

12) उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 019668/2022, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक 5788/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक डी.वाय. 35325/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा परित आदेश के अध्यधीन होगी।

09/03/24

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर (छ0ग0)

पृ.क्र./2229 /स्था.03/सीधी भर्ती–2023/सहा.शिक्षक/2024, जगदलपुर, दिनांक 09/03/2024

प्रतिलिपि :–

1) निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2) प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
3) सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
4) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5) महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ।
6) संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन इंद्रावती भवन अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
7) कमिश्नर, बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ।
8) कलेक्टर, जिला बस्तर को सादर सूचनार्थ।
9) संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ।
10) जिला कोषालय अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ।
11) समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेज़ों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं दस्तावेज़ में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।
12) संबंधित प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला.................................. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि चयनित सहायक शिक्षक के समस्त दस्तावेज़ों का परीक्षण अपने स्तर से करने के पश्चात्, सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करेंगे एवं दस्तावेज़ में त्रुटि पाये जाने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।
13) संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14) कार्यालय गार्ड फाईल फोल्डर हेतु।

09/03/24

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बस्तर (छ0ग0)

COP/2023/0400992

BAR COUNCIL OF INDIA

(CONSTITUTED UNDER THE ADVOCATES ACT,1961)

Certificate of Practice

This is to certify that Mr. / Ms. .... **ARTI PATEL** ....

S/o / D/o / W/o .... **VINOD KUMAR** .... enrolled as an Advocate under The Advocates Act, 1961 with SBC Enrollment No. .... **CG/545/2022/ADV.** .... is entitled to practice the profession of law in India in accordance with The Advocates Act, 1961 and the Rules governing such practice framed by the Bar Council of India, as he/she has successfully qualified in the All India Bar Examination-XVII vide AIBE Roll No. .... **17887184** .... Dated this the ..... **29th** ..... day of ..... **April** ..... 2023.

Manan Kumar Mishra	Shailendra Dubey	Satish Chandra Varma	Srimanto Sen
Chairman	Member	Chairman	Secretary
Bar Council of India	Bar Council of India	Bar Council of Chhattisgarh	Bar Council of India

21, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi-110002

This is an ePaper which is electonically secured using QR Code, Please download AIBE App from Playstore/App Store for instant verficiation and additional information.

Internet copy

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town
Hall, Collectorate Road,
Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309

Office: High Court Premises
Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2023/

Date : 12.01.2023

प्रति,

KU. GUNJAN SONI, ADV.
S/O/D/O/W/O SHRI ANIL KUMAR SONI
BRAMHA ROAD, INFRONT OF KESHARWANI BHAWAN, AMBIKAPUR, SURGUJA (C.G.)

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.01.2023 को आपको स्टेट बार कौंसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौंसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक **CG/208/2023/ADV.** नामांकन दिनांक 11.01.2023 है।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे।

बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौंसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें। इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौंसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :–

The Secretary,
Bar Council of India,
21, Rouse Avenue,
Institutional Area
New Delhi+
Telephone No.011-492250000, 32402082,
Telefax : 011-41036283
Email :- Info@ barcouncilofindia. Org
Website: www.barcouncilofindia.org

भवदीय

(अमित कुमार वर्मा)
सचिव
छ.ग.रा.वि. परिषद

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309

Office: High Court Premises Bilaspur (C.G.) 495 001 Phone: 07752-241309 Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2022/ Date : 26.07.2022

प्रति,

KU. PRAMILA ADV.
S/O/D/O/W/O SHRI MANIRAM
VILLAGE RAMESHWARPUR, POST KALYANPUR,
BLOCK + DISTT SURAJPUR, DISTT SURAJPUR (C.G)

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.07.2022 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक **CG/931/2022/ADV. नामांकन दिनांक 25.07.2022** है।

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :–

The Secretary,
Bar Council of India,
21, Rouse Avenue,
Institutional Area
New Delhi+
Telephone No.011-492250000, 32402082,
Telefax : 011-41036283
Email :- Info@ barcouncilofindia. Org
Website: www.barcouncilofindia.org

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH, BILASPUR

भवदीय

(अमित कुमार वर्मा)
सचिव
छ.ग.रा.वि. परिषद

VYAPAM'S COPY

Chhattisgarh Professional Examination Board , RAIPUR

Pre B.Ed Entrance Exam 2022

ADMIT CARD

Registration No.: **BDED22103995122**

Candidate's Name **SHRUTI SINHA**

Roll No. : **11201082** Category : **GENERAL**

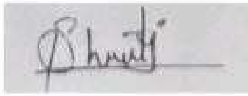

Center Code and Name :

1120, SUN RISE HR.SEC. SCHOOL,CHANDANI CHOWK, KHAIRBAR ROAD, AMBIKAPUR

Signature of Candidate	Signature of Invigilator	Date

CANDIDATE's COPY

Chhattisgarh Professional Examination Board , RAIPUR

Pre B.Ed Entrance Exam 2022

ADMIT CARD

Registration No.: **BDED22103995122**

Roll No.: **11201082**

Candidate's Name : **SHRUTI SINHA**

Relative's Name : **SHUSHIL KUMAR SINHA**

Date of Birth: **05/09/1999**

Gender: **FEMALE** Category: **GENERAL**

Class : **Others**

Address of Candidate :

Ward No 05, Godhanpur, Ambikapur, Surguja - 497001, CHATTISGARH

Date of Exam :
12/06/2022
Time
B.Ed 10:00 AM TO 12:15 PM

Examination Center code and Name

1120, SUN RISE HR.SEC. SCHOOL,CHANDANI CHOWK, KHAIRBAR ROAD, AMBIKAPUR

Controller

अभ्यर्थी के लिए आवश्यक निर्देश :-

1. सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य है, बिना मास्क/फेस कवर के अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

2. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। वर्ष 2021-22 का विद्यालय का फोटो परिचय पत्र भी मान्य होगा।

3. परीक्षार्थी परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहें, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन मूल पहचान पत्र से किया जा सके । **सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अपने मास्क को हटाना होगा ।**

4. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल काले या नीले बाल प्वाइंट पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग में लावें ।

5. किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर जाना पूर्णतः वर्जित है । परीक्षा कक्ष में पर्स, पाउच, स्कार्फ एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लाना पूर्णतः वर्जित है ।

6. काउंसिलिंग के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें । व्यापम द्वारा दोबारा जारी नहीं किया जायेगा।

7. अभ्यर्थी अपने साथ हेण्ड सैनिटाइजर की छोटी पारदर्शी बोतल रख सकते हैं।

8. परीक्षा हॉल में एवं परीक्षा हॉल के बाहर अभ्यर्थियों को भारत सरकार/ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करना होगा ।

9. निर्देशों का पालन न करने पर वीक्षक अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे ।